



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 25 30 आषाढ़ 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
21 जुलाई 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-18	भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9-विज्ञापन ---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 19-19	भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4-बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क ---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सहकारिता विभाग

आदेश

3 जुलाई 2021

सं0 01/रा.स्था.स्थाना.-40/2021 सह.-1682—विभागीय अधिसूचना संख्या-1659 दिनांक-30.06.2021 द्वारा बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए नवपदस्थापन पद/स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना द्वारा स्थानान्तरित/पदस्थापित सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वर्तमान अधिप्राप्ति मौसम अन्तर्गत धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति से संबंधित सी.एम.आर./गेहूँ की शत-प्रतिशत आपूर्ति ससमय राज्य खाद्य निगम को करने के उपरान्त अविलम्ब अपने वर्तमान पदस्थापन/स्थान से प्रभार त्याग करेंगे तथा नवपदस्थापन पद/स्थान का प्रभार ग्रहण करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

अधिसूचनाएं

30 जून 2021

सं0 01/रा.स्था.(पदस्थापन)-39/2021 सह./1660—बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-2 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट/मेधा क्रमांक/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	नवपदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जितेन्द्र कुमार, 01/15, पटना	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, पटना। (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., सारण प्रमंडल, छपरा/संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., मगध प्रमंडल, गया/उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., सारण प्रमंडल, छपरा/प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नालंदा, बिहारशरीफ)।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., बिस्कोमान, पटना।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नालंदा, बिहारशरीफ।	
2	श्री संजय कुमार, 02/15, भोजपुर	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., बिहार, पटना)।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., बिहार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, पटना।	संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना।	

3	श्री कामेश्वर ठाकुर, 05/15, सीतामढ़ी	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा। (अतिरिक्त प्रभार—संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., कोशी प्रमंडल, सहरसा/संयुक्त निबंधक, (अंकेक्षण), स.स., पटना प्रमंडल, पटना/संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/उप मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ गृह निर्माण एवं उपभोक्ता संघ लि., पटना/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहरसा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मधेपुरा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सुपौल)।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., कार्यालय निबंधक, स.स., बिहार, पटना।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा, समस्तीपुर।	
4	श्री धनन्जय कुमार, 08/15, औरंगाबाद	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., बिस्कोमान, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा, समस्तीपुर)।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., सहकारी गृह निर्माण एवं उपभोक्ता संघ, पटना।	संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	
5	श्री राजेश कुमार, 11/15, बेगूसराय	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पश्चिमी चम्पारण, बेतिया। (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., गोपालगंज)।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, मोतिहारी।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, मोतिहारी।	
6	श्री मुकेश कुमार, समस्तीपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर/प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीतामढ़ी।	
7	मो0 फरहान दानिश, बेगूसराय	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, शिवहर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, खगड़िया।	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेगूसराय।	
8	श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, भोजपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, भागलपुर (अतिरिक्त	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बक्सर।		

		समितियां	प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, कटिहार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बांका)			
9	श्री सुधीर कुमार, मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां, बेगूसराय (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, खगड़िया)	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियां, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियां, पटना।		
10	श्री मुकेश कुमार, 03/15, गया	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., सारण प्रमंडल, छपरा।	संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., सारण प्रमंडल, छपरा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मुंगेर/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., जमुई।	
11	श्री अरविन्द कुमार अजय, 04/15, मधेपुरा	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., कोशी एवं दरभंगा प्रमंडल, सहरसा।	संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., कोशी प्रमंडल, सहरसा/संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सुपौल/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., सहरसा।	
12	श्री बैद्यनाथ राय, 09/15, समस्तीपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., लखीसराय। (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मुंगेर/जमुई)।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., भागलपुर/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., बांका।	
13	श्री अजेय कुमार सिन्हा, दरभंगा	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पूर्णिया।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., कटिहार।	
14	श्री कृष्णकान्त शर्मा, 06/15, नालंदा	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., मगध एवं पटना प्रमंडल, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., रोहतास, सासाराम/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., कैमूर, भभुआ)।		संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., पटना प्रमंडल, पटना/संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., मगध प्रमंडल, गया।	

15	श्रीमती अनिता कुमारी, 07 / 15, पटना	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स.	उप मुख्य अंकेक्षक, स.स., भूमि विकास बैंक, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), स.स., तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर)।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., गोपालगंज।	
16	श्री अजंजी कुमार सिन्हा, मुजफ्फरपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., दरभंगा।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., मधेपुरा।	
17	सुश्री वैशाली चौधरी, उत्तर प्रदेश	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., समस्तीपुर।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।	
18	श्री सुभाषचन्द्र वर्मा, 10 / 15, मुंगेर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., गया।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., औरंगाबाद।	
19	श्री जयनाथ सिंह, भोजपुर	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स.,	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., अरवल।		जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., जहानाबाद।	

2. उपर्युक्त नवपदस्थापित सूची के क्रमांक-08 एवं 09 में अंकित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-434 दिनांक 01.03.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यावेदन के आधार पर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्थिति में उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

3. उच्चतर पद में पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

30 जून 2021

सं० 01/रा.स्था.स्थाना.-40/2021 सह. / 1659—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-2 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-5 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ-6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-

क्र. सं.	पदाधिकारियों का नाम/सिविल लिस्ट/मेधा क्रमांक/गृह जिला	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन पद/स्थान	नवपदस्थापन पद/स्थान	अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री कुमार शांत रक्षित 16 / 18, लखीसराय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स. (बुनकर), बिहार, गुलजारबाग, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना में प्रतिनियुक्त/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी., बिहार, पटना)।	विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।	संयुक्त निबंधक, स.स., पटना प्रमंडल, पटना।	
2	श्री विनोद 15 / 18, सीवान	सहायक निबंधक, सहयोग	सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण, पटना। (अतिरिक्त		राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई.सी.डी.पी.,	

		समितियाँ	प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना / सहायक निबंधक, स.स., पटना सिटी / सहायक निबंधक, स.स., दानापुर / सहायक निबंधक, स.स., मसौढ़ी / सहायक निबंधक, स.स., बाढ़।		बिहार, पटना।	
3	श्री संतोष कुमार झा, 30 / 18, दरभंगा		जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना।	सहायक निबंधक, स.स., पटना / सहायक निबंधक, स.स., पटना सिटी / सहायक निबंधक, स.स., दानापुर / सहायक निबंधक, स.स., मसौढ़ी / सहायक निबंधक, स.स., बाढ़।	
4	श्री प्रभात कुमार, 26 / 18, पटना	सहायक निबंधक, स0स0,	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स0स0, सीतामढ़ी / पुपरी, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीतामढ़ी)।	उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना।		
5	श्री प्रभाकर कुमार, 45 / 18, मुंगेर	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सासाराम—भभुआ, सासाराम। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., सासाराम / सहायक निबंधक, स.स., विक्रमगंज)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सासाराम—भभुआ, सासाराम / सहायक निबंधक, स.स., बक्सर / सहायक निबंधक, स.स., डुमराँव।	
6	श्री शंभुसेन कुमार, 47 / 18, पटना	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स. (अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित), बिहार, पटना। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, धु.र.द. / प्रबंधक निदेशक, बिहार स्टेट कॉप. टुबैको ग्रावर्स प्र.लि.)।	प्रशासी पदाधिकारी कार्यालय संयुक्त निबंधक, स.स., पटना प्रमंडल, पटना।	सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी का कार्यालय, आई.सी.डी.पी., बिहार, पटना।	
7	श्री विद्याभूषण मिश्र, 51 / 18, कैमूर	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., मुंगेर)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया।	सहायक निबंधक, स.स., गया / सहायक निबंधक, स.स., शेरघाटी / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., औरंगाबाद।	
8	श्री विजय कुमार सिंह, 35 / 18, रोहतास	सहायक निबंधक, सहयोग	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., हाजीपुर। (अतिरिक्त प्रभार— जिला	जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)।	सहायक निबंधक, स.स., आरा।	

		समितियाँ	सहकारिता पदाधिकारी, हाजीपुर / सहायक निबंधक, स.स., हाजीपुर / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., हाजीपुर)।			
9	श्री अरुण कुमार, 65 / 18, जमुई	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., बांका / सहायक निबंधक, स.स., कटिहार)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार।	सहायक निबंधक, स.स., कटिहार।	
10	श्री मिथिलेश कुमार, 71 / 18, वैशाली	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेतिया / सहायक निबंधक, स.स., बेतिया / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., बेतिया)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अररिया।	महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., अररिया।	
11	श्री रंजीत कुमार, बेगूसराय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स., समस्तीपुर। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मुंगेर—जमुई, मुंगेर)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	सहायक निबंधक, स.स., पूर्णिया।	
12	श्री शिवशंकर कुमार, 70 / 18, पटना	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स., बगहा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा।	सहायक निबंधक, स.स., सहरसा।	
13	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 72 / 18, सीवान	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., समस्तीपुर। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., रहिका मधुबनी)।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., समस्तीपुर।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर / सहायक निबंधक, स.स., समस्तीपुर / सहायक निबंधक, स.स., दलसिंहसराय / सहायक निबंधक, स.स., रोसड़ा / सहायक निबंधक, स.स., पटौरी / व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर।	
14	श्री बिरेन्द्र शर्मा, 61 / 18, पटना	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., बेगूसराय)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तिरहुत बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना लि०, मोतिहारी / प्रबंध निदेशक, जिला	

					केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरपुर।	
15	श्री मिथिलेश कुमार, 66/18, रोहतास	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेगूसराय। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., खगड़िया)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर।	सहायक निबंधक, स.स., वैशाली, हाजीपुर/प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., वैशाली, हाजीपुर।	
16	श्री धर्मनाथ प्रसाद, 62/18, पूर्वी चम्पारण	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	उप महाप्रबंधक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., पटना। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना)।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मुंगेर—जमुई, मुंगेर।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निबंधक, स.स., मुंगेर।	
17	श्री नयन प्रकाश, 59/18, सीवान	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मोतिहारी। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मोतिहारी/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि., पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सहायक निबंधक, स.स., मोतिहारी/सहायक निबंधक, स.स., सिकरहना)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., कैमूर—भभुआ।		
18	श्री रामाश्रय राम, 46/18, बक्सर	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., भभुआ।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।	सहायक निबंधक, स.स., मोतिहारी/सहायक निबंधक, स.स., सिकरहना।	
19	श्री अजय कुमार भारती, 57/18, दरभंगा	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., समस्तीपुर/सहायक निबंधक, स.स., दलसिंहसराय/सहायक निबंधक, स.स., रोसडा/सहायक निबंधक, स.स., पटौरी)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी।	प्रबंध निदेशक, दी रहिका केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधुबनी/सहायक निबंधक, स.स., मधुबनी/सहायक निबंधक, स.स., बेनीपट्टी/सहायक निबंधक, स.स., झंझारपुर।	
20	श्री बाबू राजा, 63/19, सिवान	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., जहानाबाद/महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., जहानाबाद)।		जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अरवल।	
21	श्री सैयद मशरूख आलम,	सहायक निबंधक,	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा।	जिला सहकारिता पदाधिकारी,	सहायक निबंधक, स.स.,	

	29/18, पश्चिमी चम्पारण	सहयोग समितियाँ	(अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., सहरसा / जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अररिया / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., अररिया)।	सीतामढ़ी।	सीतामढ़ी / सहायक निबंधक, स.स., पुपरी।	
22	श्री ललन कुमार शर्मा, 33/18, मुंगेर	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरपुर)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेगूसराय / सहायक निबंधक, स.स., बेगूसराय।	
23	श्री शशिकान्त शशि, पटना	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स., गया। (अतिरिक्त प्रभार—जिला सहकारिता पदाधिकारी—सह—सहायक निबंधक, स.स., अरवल)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., खगड़िया / सहायक निबंधक, स.स., खगड़िया।	
24	श्रीमती संगीता कुमारी, मधुबनी	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, स.स., पटना।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका।	सहायक निबंधक, स.स., बांका।	
25	श्री निकेश कुमार, 52/18, हजारीबाग, झारखण्ड	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, स.स., गया / सहायक निबंधक, स.स., शेरघाटी / प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., औरंगाबाद / सहायक निबंधक, स.स., औरंगाबाद / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., औरंगाबाद।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सिवान / सहायक निबंधक, स.स., सिवान।	
26	श्री अमृताश ओझा, पटना	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सोनपुर। (अतिरिक्त प्रभार—प्रबंध निदेशक, दी रहिका केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधुबनी)।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया।	प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बेतिया / सहायक निबंधक, स.स., बेतिया / सहायक निबंधक, स.स., बगहा / महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., बेतिया।	
27	श्री पारसनाथ प्रसाद, 27/18, गोपालगंज	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा), बिहार, पटना।		सहायक निबंधक, स.स. (बुनकर), बिहार, गुलजारबाग, पटना।	

28	श्री अजय कुमार अलंकार, 25/18, वैशाली।	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा। (अतिरिक्त प्रभार—सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, छपरा)।		सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सोनपुर।	
----	---	---------------------------------------	--	--	--	--

2. उपर्युक्त नवपदस्थापित सूची के क्रमांक-07, 11, 15 एवं 17 में अंकित पदाधिकारियों का स्थानान्तरण उनके अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-434 दिनांक 01.03.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में अभ्यावेदन के आधार पर पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन की स्थिति में उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

3. उच्चतर पद में पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे जायेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

12 जुलाई 2021

सं0 01/रा.स्था.निजी- 31/2021 सह-1740—प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक—LR110620211200211 दिनांक 11.06.2021 के आलोक में श्री मो. मोजीबुर रहमान, उप निबंधक, स.स. प्रभारी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को निजी आवश्यक कार्य हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक 25.03.2021 से दिनांक 21.04.2021 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 272 (दो सौ बहत्तर) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सियाराम सिंह, उप-सचिव।

मध्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2021

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)—1-39/2016-2259—श्रीमती पूजा भारती, तत्का0 अवर निबंधक, फारबिसगंज सम्प्रति अवर निबंधक, दरौली (सिवान) के विरुद्ध अधिनियमों, नियमों, सरकारी निर्देशों एवं राजस्व हित के विपरीत कार्य करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0-636 दिनांक 12.02.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. श्री काशी कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना—सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक—125 दिनांक 13.01.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें निबंधन अधिनियम के प्रावधानों एवं संगत नियमों की अनदेखी कर व्यक्तिगत लाभ के लिए श्रीमती भारती द्वारा राजस्व की क्षति पहुँचाने के आरोप को प्रमाणित बताया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक—275 दिनांक 27.01.2021 द्वारा श्रीमती भारती से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्रीमती भारती ने अपने पत्रांक—36 दिनांक 24.02.2021 द्वारा बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें अन्यायपूर्ण विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (अप) के तहत सात वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड प्रस्ताव पर मा0 मंत्री का अनुमोदन करते हुए विभागीय पत्रांक—1617 दिनांक 21.05.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक—616 दिनांक 28.06.2021 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव श्रीमती पूजा भारती, अवर निबंधक, फारबिसगंज (अररिया) सम्प्रति अवर निबंधक, दरौली (सिवान) के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (अप) के तहत 07 (सात) वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

12 जुलाई 2021

सं० 8/आ० (राज० नि०)—1-39/2016-2260—श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का० जिला अवर निबंधक, रोहतास सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शेखपुरा, अधिसूचित जिला अवर निबंधक, सुपौल के विरुद्ध महालेखाकार के प्रतिवेदन पर कार्रवाई नहीं करने के परिणाम स्वरूप राजस्व क्षति, सरकारी निर्देश की अनदेखी कर भूमि का निबंधन करना, लिपिक से स्थल जॉच करवाना, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा राजस्व संग्रहण में विफल होने के परिणाम स्वरूप राजस्व की क्षति होना, बिना स्थल जॉच के ही प्रतिवेदन समर्पित करना, प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का अभाव एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं०-1668 दिनांक 17.05.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. श्री अयाज अहमद खॉ, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना—सह—संचालन पदाधिकारी के गै०स०प्रे०सं०-04 दिनांक 07.01.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जिला अवर निबंधक के माध्यम से प्रारंभिक जॉच करवाने में 1524 वर्गफिट की संरचना पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे सरकार को रु. 67,056/—(सड़सठ हजार छप्पन) रुपये की क्षति हो सकती थी, इस आधार पर आरोप सं०-01 को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों से स्थल जॉच करवाया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कम्प्यूटर ऑपरेटर सरकारी कर्मी नहीं होते हैं। इस आधार पर आरोप सं०-02 को आंशिक रूप से प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-450 दिनांक 31.01.2020 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

4. विभागीय पत्रांक-1597 दिनांक 26.05.2020 एवं 2481 दिनांक 19.08.2020 द्वारा स्मारित करने के बावजूद आरोपी पदाधिकारी का बचाव वयान विभाग में समर्पित नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रमाणित आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी का बचाव में कुछ नहीं कहना है।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (अप) के तहत दो वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के प्रस्ताव पर मा० मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय पत्रांक-1496 दिनांक 22.04.2021 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-617 दिनांक 28.06.2021 द्वारा सम्यक् विचारोपरांत विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतएव श्री सरोज कुमार सिन्हा, तत्का० जिला अवर निबंधक, रोहतास सम्प्रति जिला अवर निबंधक, शेखपुरा के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 (अप) के तहत 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

आदेश

16 जुलाई 2021

सं० एल/एच०जी०-14-07/2020-4184/सी०—श्री पवन कुमार सिंह, सेवानिवृत्त वरीय जिला, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, दरभंगा के दिनांक 31.07.2020 के अपराहन में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि०(2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-413(23), दिनांक 16.03.2021 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 276 (दो सौ छिहत्तर) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

16 जुलाई 2021

सं० एल/एच०जी०-14-25/2019-4185/सी०—स्व० निर्मल कुमार, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बांका की मृत्यु की तिथि 24.03.2019 तक वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1829 वि०(2), दिनांक 07.04.2005 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-540(23), दिनांक 27.04.2021 द्वारा संसूचित अवकाश आदेयता के आधार पर 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि उनकी आश्रिता पत्नी श्रीमती कल्याणी देवी को भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

14 जुलाई 2021

सं० एल/एच०जी०-14-03/2021-91—महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-3575, दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापक-2498, दिनांक 12.04.2007 एवं पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के तहत श्री अनिल कुमार वर्मा, परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को द्वितीय जीवित संतान के लिए दिनांक 15.07.2021 से 15 (पंद्रह) दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस आदेश में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
25 मई 2021

सं० 1/डी०1-10-05/2007 खण्ड-I गृ०आ०-3419—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन०एस०सी०एस०) में संयुक्त सचिव के पद पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप श्री कुन्दन कृष्णन, भा०पु०से० (BH:1994) सम्प्रति अपर पुलिस महानिदेशक-सह-अपर नागरिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना को वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री कृष्णन को निदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय (एन०एस०सी०एस०) में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-I-21017/01/2018-IPS.III, दिनांक 20.04.2021 द्रष्टव्य।)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

5 अप्रील 2021

सं० 1/एल०1-10-01/2008-गृ०आ०-3014—श्री मनु महाराज, भा०पु०से० (2005), पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2021 से 21.04.2021 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में उनके द्वारा धारित पद-पुलिस उप-महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा के अतिरिक्त प्रभार में श्री लालमोहन प्रसाद, भा०पु०से० (2004), पुलिस उप-महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

16 जुलाई 2021

सं० 1/एल०1-10-01/2021-गृ०आ०-4796—श्री रविन्द्रण शंकरण, भा०पु०से० (1995), अपर पुलिस महानिदेशक, ए०टी०एस०, बिहार, पटना को सपरिवार एल०टी०सी० के तहत हिमाचल प्रदेश की यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 03.07.2021 से दिनांक 12.07.2021 तक कुल 10 (दस) दिनों का उपाजित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री रविन्द्रण शंकरण के उक्त अवकाश अवधि में श्री सुशील एम० खोपड़े, भा०पु०से० (1995), अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार, पटना को उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

13 अप्रील 2021

सं० 1/एल०1-10-03/2021-गृ०आ०-3197—श्री सागर कुमार, भा०पु०से० (2018), सहायक पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 14.04.2021 से 18.05.2021 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों का उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में उनके द्वारा धारित पद—सहायक पुलिस अधीक्षक—सह—अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रक्सौल के अतिरिक्त प्रभार में श्री शैशव यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, मोतिहारी रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

21 जून 2021

सं० 1/एल1-10-04/2018-गृ०आ०-3953—श्री अश्विनी कुमार, भा०पु०से० (2008), समादेष्टा, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-13, दरभंगा को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2021 से दिनांक 21.03.2021 तक 54 (चौवन) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

7 जुलाई 2021

सं० 1/एल०१-10-05/2011-गृ०आ०-4486—श्री विकास वैभव, भा०पु०से० (2003), विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2021 से दिनांक 10.08.2021 तक कुल 16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री विकास वैभव के उक्त अवकाश अवधि में उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में श्री अनिमेश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

16 जुलाई 2021

सं० 1/एल०१-10-05/2020-गृ०आ०-4795—श्री आर०एस० भट्टी, भा०पु०से० (1990), पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को अत्यावश्यक निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 05.07.2021 से दिनांक 09.07.2021 तक 5 (पाँच) दिनों का उपार्जित अवकाश [दिनांक 03.07.2021 (शनिवार) एवं 04.07.2021 (रविवार) को Prefix और दिनांक 10.07.2021 (शनिवार) एवं 11.07.2021 (रविवार) को Suffix सहित] की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री भट्टी के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम० आर० नायक, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को उनके द्वारा धारित पद के अतिरिक्त प्रभार में रहने का घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

22 अप्रैल 2021

सं० 1/एल1-10-10/2014-गृ०आ०-3304—श्री सुनील कुमार, भा०पु०से० (2004), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2021 से 08.05.2021 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में श्री सुनील कुमार द्वारा धारित पद— पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री रमण कुमार चौधरी, भा०पु०से० (2012), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

7 जुलाई 2021

सं० 1/एल०१-10-13/2013-गृ०आ०-4476—श्री एम०आर० नायक, भा०पु०से० (1998), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक 08 (आठ) दिनों का उपार्जित अवकाश (दिनांक 14.05.2021 से 16.05.2021 तक 03 दिनों का रात्रपत्रित अवकाश Prefix के रूप में उपभोग की अनुमति सहित) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

21 जून 2021

सं० 1/एल1-10-15/2019-गृ०आ०-3954—श्री निर्मल कुमार आजाद, भा०पु०से० (1994), अपर पुलिस महानिदेशक, रेल, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2021 से 08.04.2021 तक कुल 18 दिनों का रुपांतरित अवकाश (18 x 2 = 36 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

5 अप्रैल 2021

सं० 1/एल1-10-23/2015-गृ०आ०-3015—श्रीमती मीनू कुमारी, भा०पु०से० (2010), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को Miscarriage के कारण अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 18 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2021 से 14.04.2021 तक कुल 42 (बीयालीस) दिन का मातृत्व अवकाश के रूप में तथा दिनांक 15.04.2021 से 17.04.2021 तक 03 (तीन) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की अवधि में उनके द्वारा धारित पद-पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अतिरिक्त प्रभार में श्री अमजद अली, भा०पु०से० (2008), पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

25 जून 2021

सं० 1/एल०टी०सी०-50-04/2021-गृ०आ०-4058—श्री अरविन्द पाण्डेय, भा०पु०से० (1988), महानिदेशक-सह-असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2021 से दिनांक 20.03.2021 तक 10 (दस) दिनों के उपभोग किये गये अवकाश के लिए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

25 जून 2021

सं० 1/एल०टी०सी०-50-12/2015-गृ०आ०-4057—श्री कुन्दन कृष्णन, भा०पु०से० (1994), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक-सह-अपर असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना सम्प्रति (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति में) को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2021 से दिनांक 14.04.2021 तक 06 (छः) दिनों के उपभोग किये गये अवकाश के लिए उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

14 जुलाई 2021

सं० 1/एम०2-60-15/2021 गृ०आ०-4718—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान का निदेश दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा०पु०से० (2010)	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद	बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना
2.	श्री राकेश कुमार दुबे, भा०पु०से०	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार — अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा	बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

2. श्री सुधीर कुमार पोरिका, भा०पु०से० (2010) एवं श्री राकेश कुमार दुबे, भा०पु०से० के स्थानांतरण के फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर (अतिरिक्त प्रभार-अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा) के पद पर तत्काल प्रभार की आंतरिक व्यवस्था करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

14 जुलाई 2021

सं० 1/पी1-02/2013 खण्ड-II गृ०आ०-4735—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित/अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/बैच	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री कान्तेश कुमार मिश्रा, भा०पु०से० (2015)	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना	पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद
2.	श्री विनय तिवारी, भा०पु०से० (2015)	पुलिस अधीक्षक, नगर (मध्य), पटना	पुलिस अधीक्षक, भोजपुर अतिरिक्त प्रभार समादेष्टा, अश्वारोही विशेष सशस्त्र पुलिस, आरा
3.	श्री स्वर्ण प्रभात, भा०पु०से० (2017)	सहायक पुलिस अधीक्षक, विधि-व्यवस्था, पटना	पुलिस अधीक्षक, नगर, भागलपुर
4.	श्री विनीत कुमार, भा०पु०से० (2017)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दानापुर, पटना	पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), पटना
5.	श्री अम्बरीष राहुल, भा०पु०से० (2017)	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना	पुलिस अधीक्षक, नगर (मध्य), पटना

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

21 जून 2021

सं० 1/पी०३-०८/२०१५-गृ०आ०-३९५२—श्रीमती स्वपना जी० मेश्राम, भा०पु०से० (2011), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (अ०), विशेष शाखा, बिहार, पटना सम्प्रति समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-2, डिहरी-ऑन-सोन को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम-10, 11, 12, 13 एवं 20 के अन्तर्गत निम्नरूपेण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (क) दिनांक 03.05.2020 से 14.06.2020 तक - 43 दिनों का रूपांतरित अवकाश
(43 x 2 = 86 दिनों के अर्द्धवैतनिक ?
अवकाश के समतुल्य)।
- (ख) दिनांक 15.06.2020 से दिनांक 08.07.2020 तक- 24 दिनों का उपार्जित अवकाश।

आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

6 जुलाई 2021

सं० 1/पी०४-०३/२०२० गृ०आ०-४४००—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने कॉलम (6) में अंकित तिथि से कनीय प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान [वेतन संरचना का वेतन स्तर-12 (रु० 78,800 - 2,09,200/-)] में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	नियुक्ति का श्रोत	आवंटन वर्ष	भा०पु०से० में नियुक्ति की तिथि	कनीय प्रशासनिक ग्रेड (JAG) में प्रोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विवेकानन्द	SPS	2008	08.04.2015	13.09.2020
2.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	SPS	2012	26.12.2018	01.01.2021
3.	श्री मनोज कुमार तिवारी	SPS	2012	26.12.2018	01.01.2021

2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

3. क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित पदाधिकारी को यह प्रोन्नति MCTP Phase-III हेतु भविष्य में स्लॉट उपलब्ध होने पर पूरा करने की शर्त पर प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

12 जुलाई 2021

सं० 15/एम1-54/2021-1335—विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1200 दिनांक 14.07.2020 द्वारा श्री श्रीकान्त को दिनांक 13.07.2021 तक की अवधि के लिए निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया था।

विभागीय अधिसूचना संख्या-1124 दिनांक 03.07.2020 द्वारा निर्गत संस्थान के नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में श्री श्रीकान्त को निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना के पद पर दिनांक 14.07.2021 से दिनांक 12.01.2022 तक के लिए अवधि विस्तार किया जाता है।

आदेश से,
असंगबा चुबा आओ, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

1 जुलाई 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पूर्वी चम्पारण) मोतिहारी-03/2018-479040--श्री आशुतोष आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनकटवा, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के विरुद्ध लापरवाही के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पत्रांक-479 दिनांक 15.09.2018 द्वारा आरोप भी प्रतिवेदित किये गये हैं।

जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदित आरोप पर विभागीय ज्ञापांक 400801 दिनांक 11.12.2018 द्वारा श्री आशुतोष आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनकटवा, पूर्वी चम्पारण से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

प्रखंड कार्यालय, बनकटवा, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 634 दिनांक 20.12.2018 के द्वारा श्री आनंद का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से प्रतिवेदित आरोप एवं श्री आनंद का स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि सरकारी सेवक अचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य किये हैं।

अतः श्री आशुतोष आनंद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनकटवा, पूर्वी चम्पारण के विरुद्ध सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के लिए उनके विरुद्ध 'निर्दण्ड' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगण डी०, सचिव।

1 जुलाई 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) प०च०- 01/2019-478982--श्री विनय कुमार सिंह, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत अयोग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची से हटाए जाने एवं योग्य लाभुकों का नाम प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करने हेतु दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं करने, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से संबंधित कार्य में उदासीन रवैया अपनाये जाने तथा उक्त योजनाओं के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक- 2892 दिनांक 10.12.2019, पत्रांक 186 दिनांक 02.09.2019 एवं पत्रांक 22 दिनांक- 24.01.2019 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री विनय कुमार सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में ठोस साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही उनके द्वारा आरोप को स्वीकार भी किया गया है, इससे स्पष्ट है कि श्री विनय कुमार सिंह आदतन लापरवाह हैं एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप पाया गया।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री विनय कुमार सिंह, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री विनय कुमार सिंह के चारित्री पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगण डी०, सचिव।

1 जुलाई 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (कोशी) सु०-03/2019-479004--श्री आर्य गौतम, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा सदर (मधेपुरा) के विरूद्ध सरकारी राशि के बंदरबाट इत्यादि आरोप के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 408-2 दिनांक 28.05.2019 द्वारा इनके विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय ज्ञापांक 433050 दिनांक 17.07.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रखंड कार्यालय, मधेपुरा सदर, मधेपुरा के पत्रांक 1727 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त है।

श्री आर्य गौतम के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोप की वृहत् जाँच हेतु श्री आर्य गौतम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

श्री आर्य गौतम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री भरत कुमार दूबे, सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है एवं उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल को निदेश दिया जाता है।

तदनुसार एतद् द्वारा श्री आर्य गौतम को आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगण डी०, सचिव।

1 जुलाई 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (ति०) सीतामढ़ी-03/2018-478915--श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नानपुर (सीतामढ़ी) के विरूद्ध लोक शिकायत की सुनवाई में भाग नहीं लेना, भ्रामक तथा गैर जिम्मेदाराना प्रतिवेदन प्रेषित करना एवं वादों के सुनवाई में प्रतिनिधि भेजकर खानापूर्ति आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आदेश पर श्री प्रदीप कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि परिवादों को क्रमानुसार क्रमांकित करते हुए परिवादवार पारित आदेश के सापेक्ष कृत कार्रवाई/अनुपालन प्रतिवेदन उनके स्तर से अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पुपरी को समर्पित कर दिया गया है। परिवादों में कुछ ऐसे मामले जो पूर्ववर्ती लोक प्राधिकार से संबंधित हैं। परिवाद के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होता है कि कुछ मामले पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यकाल में दायर किये गये एवं कुछ मामले निष्पादित भी किये गये। नानपुर प्रखंड में कुल 17 पंचायत हैं। साथ ही साथ प्रखंड में अन्य प्रखंडों की अपेक्षा अल्पसंख्यकों की संख्या सर्वाधिक है। पर्व त्योहार एवं अन्य उत्सवों में पारस्परिक मतभेद की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विधि व्यवस्था पर सतत निगरानी रखनी पड़ती है।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा से स्पष्ट है, कि उनके द्वारा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पुपरी (सीतामढ़ी) के आदेश का उल्लंघन किया गया। सम्यक विचारोपरांत श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नानपुर (सीतामढ़ी) के विरूद्ध चेतावनी का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री/सेवापुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:--आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगण डी०, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ग्रामीण विकास विभाग

शुद्धि-पत्र

1 जुलाई 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (पटना) भोजपुर- 04/2015-478932--अधिसूचना संख्या 471495, पटना, दिनांक 23.06.2021 में अधिरोपित दंड असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने के स्थान पर चेतावनी का दंड पढ़ा जाय ।

अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 14—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>